

संख्या: 14/17/15
तिथि: 22/11/2023
पावती समय: 05:53 PM

अतारंकित प्रश्न

विषय :- सडक को तोडने की जानकारी देने बारे।
मंत्री:- डॉ. कमल गुप्ता
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:- 05/08/2023
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक: श्री नीरज शर्मा(86), सदस्य

सेवा में:
सचिव
हरियाणा विधान सभा
Delhi-1

महोदय,
अतारंकित प्रश्न

* शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएं कि :

- 01 जनवरी 2020 से हरियाणा में विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्र में विभाग द्वारा प्राइवेट कम्पनियों को सडक/गली तोडने की अनुमति जारी की गई है। इसकी जिलेवार एंव कम्पनियों के नाम सहित ब्यौरा दिया जाए।
- हरियाणा में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्र में सडक/ गली तोडने की अनुमति दी जाती है या सडक/गली कटींग करने की अनुमति दी जाती है।
- नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद द्वारा जो अनुमति दी जाती है वह किन शर्तों पर दी जाती है तथा अगर कोई शर्तें पूरा ना करे तो उसपर क्या कार्यवाही की जाती है।
- अगर कोई कम्पनी बिना नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की अनुमति के सडक एंव गली को तोडे तो उसपर क्या कार्यवाही की जाती है।
- अगर किसी कम्पनी को सडक एंव गली तोडने की अनुमति दी जाती है तो उसको किस आधार पर अनुमति दी जाती।

भवदीय
श्री नीरज शर्मा(86)
सदस्य
22/11/2023 05:53 PM

This document is computer generated and signature is not required.

FOR OFFICE USE